वर्ष 4, अंक 81 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

जून 2006 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

एक दूरगामी निर्णय में दिल्ली कैबिनेट ने राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले सभी प्रमाण-पत्रों, आवेदनपत्रों और दस्तावेजों में माँ का नाम सम्मिलित करना अनिवार्य कर दिया है। अब आगे मतदाता पहचानपत्रों, ड्राइविंग लाइसेंसों, राशन कार्डों, विद्यालय, जन्म तथा मृत्यु प्रमाणपत्रों में भी माँ का नाम सम्मिलित किया जायेगा और यह निर्णय सभी क्षेत्रों और विभागों पर लागू होगा।

निःसंदेह यह महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अतिरिक्त, दस्तावेजों में दोनों माँ और बाप का ब्यौरा होने से संबंधित व्यक्ति की अधिक विशिष्ट ढंग से पहचान करने में मदद मिलेगी।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी अपनी ओर से राज्य सरकारों से सभी सरकारी दस्तावेजों में दोनों माँ और बाप के नाम सम्मिलित करने के लिए कहा है और इस प्रकार यह स्वीकार किया है कि एक व्यक्ति की पहचान के सरकारी तौर पर लक्षण बताने में दोनों माँ-बाप समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

इस परिवर्तन की गूंज काफी गहरी और दूर तक होगी। अब तक बाप की पहचान पर बल देने से माँ की भूमिका और एक व्यक्ति के जीवन में उसकी उपस्थिति कम होती थी।

चर्चा में — माँ का नाम

तथापि, हाल के परिवर्तनों में एक अभिभावक के रूप में माँ का नाम एक बैंक खाता खोलने या किसी विद्यालय में दाखिला लेने के लिए पर्याप्त है। इसके साथ महिला के सम्पत्ति पर अधिकार और उसके उत्तराधिकार के निपटारे की पुनरावृत्ति करने वाले कानूनों से वर्तमान सामाजिक ढांचे में महिलाओं की महत्ता में काफी वृद्धि होगी।

अतः यद्यपि केवल कानून भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, यदि राजनैतिक इच्छा नहीं होती और पितृ-तंत्रीय मानसिकता में परिवर्तन नहीं लाया जाता, फिर भी इससे ऐसे उपकरण उपलब्ध होंगे जिससे परिवर्तन शीघ्र लाने में मदद और प्रोत्साहन मिलेगा।

संविधान में महिलाओं को समान अधिकार और समान सुरक्षा देने, लिंग के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव न करने का प्रावधान है और राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक पक्षपात करने का अधिकार दिया गया है।

दिल्ली सरकार ने सही दिशा में सकारात्मक कार्यवाही की है और हमें आशा है कि अन्य राज्य इसका अनुसरण करेंगे।

अध्यक्षा का बैंकाक का दौरा

आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने एशियाई प्रशांत महिला संसाधन और शोध केन्द्र द्वारा बैंकाक में महिला स्वास्थ्य और अधिकार समर्थन के अनुसरण में आयोजित क्षेत्रीय नीति संवाद में भाग लिया। उन्होंने यौन प्रजनन और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों पर बोलते हुए मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और महिलाओं के प्रति हिंसा जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला।

वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सांसदविद्, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, मीडिया और शिक्षक दक्षिण एशिया में यौन प्रजनन और स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। इस बैठक में क्षेत्रीय कार्य दल की काम की रणनीतियां बनाई गई और उन्हें स्पष्ट किया गया।

डा. गिरिजा व्यास (मध्य) सेमिनार में

मणिपुर में कथित सामूहिक बलात्कार पर आयोग की समिति

राष्ट्रीय महिला आयोग ने, जिसने हाल ही में लड़ाकुओं द्वारा हमार महिलाओं के कथित सामूहिक बलात्कार की स्वतंत्र जांच करने के लिए मणिपुर की तहसील तिपाईमुख में लुंगथूलियन और परबंग का दौरा किया, कहा कि महिलाओं पर किये गये 'अत्याचार' एक 'वीभत्स घटना' थी।

आयोग की सदस्या मालिनी भट्टाचार्य, जो समिति की अध्यक्षा थीं, का कहना था कि कुछ बलात्कार पीड़िता अवयस्क लड़कियां थीं और अवयस्क लड़कियों के मामले में उनके इस आशय के बयानों को ही उच्चतम न्यायालय के हाल के एक निर्णय के अनुसार न्यायालय द्वारा सही माना जाना चाहिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने यह भी बताया कि उन्होंने 25 कथित बलात्कार पीड़ितों में से 21 से, लुंगथूलियन में 13 से और परबंग में 8 से उस क्षेत्र के दौरे के दौरान साक्षात्कार किया था।

आयोग शीघ्र ही केन्द्र और मणिपुर सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा जिसमें आयोग ने इस क्षेत्र में रहन-सहन की स्थितियों में सुधार लाने के लिए कई सुझाव दिये हैं।

आयोग की सदस्या दोनों मिजोरम और मणिपुर में अधिकारियों के साथ सकवरदाई शरणार्थी शिविर में हमार शरणार्थियों से भी मिलीं।

ऐसे अत्याचारों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह मांग भी की है कि मणिपुर के चूराचांदपुर जिले के दो गांवों में सशस्त्र बल भी तैनात किये जायें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य सकवरदाई (मिजोरम) में शरणार्थियों को सम्बोधित करती हुईं

बलात्कार पीड़ित के लिए मुआवजा

राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये तक का भुगतान करने के लिए एक योजना तैयार की है।

इसे स्वीकृति मिलने पर सरकार को एक अपराध के लिए शीघ्र ही मुआवजे का भुगतान करना होगा जो राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार हर आधे घण्टे में एक बार दायर किया जाता है।

प्रत्येक मामले के गुण-दोषों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की रकम 5 लाख रुपये तक हो सकती है। यदि पीड़ित महिला एक परिवार की कमाने वाली सदस्या है तो उस परिवार को 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। यदि वह कमाने वाली सदस्या नहीं है तो परिवार के सदस्यों को एक लाख रुपये दिये जायेंगे।

अवयस्क पीड़ितों के लिए मुआवजा उनके अभिभावकों को दिया जायेगा। यदि पीड़ित की हत्या कर दी जाती है तो उसके रोजगार के इतिहास और आश्रितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की रकम 5 लाख रुपये तक हो सकती है।

20,000 रुपये की पहली किश्त का भुगतान आवेदन के तीन सप्ताह के भीतर किया जायेगा। आवेदन के साथ प्राथमिकी और बलात्कार की पुष्टि करने वाली डाक्टरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मुआवजे की शेष राशि बलात्कार आरोपी की सुनवाई में पीड़ित महिला द्वारा पुलिस को सहयोग दिये जाने पर एक वर्ष की अवधि के दौरान दी जायेगी।

इस संबंध में निर्णय जिलाधीशों की अध्यक्षता में राज्य सरकारों द्वारा गठित जिला स्तरीय राहत और पुनर्वास बोर्डों द्वारा लिया जायेगा। पीड़ितों को कानूनी, चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक सहायता देने के लिए बोर्डों में निगरानी समितियां भी बनाई जायेंगी।

यह भारत है

मध्य प्रदेश के सिहोर जिला के हिरनखेड़ी गांव की एक महिला को, जिस पर गांव के ही एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया गया, ग्राम परिषद के समक्ष बुलाया गया जिसने एक पारंपरिक 'परीक्षा' के लिए सपेरों को बुला कर सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया।

उसके मामले की सुनवाई करने के पश्चात् सपेरों ने उस महिला को आदेश दिया कि वह अपनी पतिव्रतता सिद्ध करने के लिए अपनी हथेली पर लाल गर्म लौह का एक टुकड़ा रखकर 100 गज की दूरी तक चले जबकि पप्पु नाथ ने, जिस पर उस महिला के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया था, सफाई दी कि वह उस महिला को अपनी बहन मानता है।

तथापि पूर्व सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर आखिरकार इस महिला को इस कठिन परीक्षा से बचा लिया गया। इस संबंध में सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन : चूल्हे महिलाओं, बच्चों के लिए अभिशाप

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये एक नये अध्ययन के अनुसार ग्रामीण घरों में चूल्हों से निकलने वाली कालिख से कई लाख महिलाओं और बच्चों की मृत्यु होती होगी। हर वर्ष एक-तिहाई से अधिक बच्चे अपने घरों में सांस के साथ हानिकर हवा अंदर लेने से मरते हैं और श्वास के तेज संदूषण का शिकार होते हैं।

इस अध्ययन से पता चला कि महिलाओं को खुले गैस के चूल्हों में खाना पकाने से निचली श्वास नली का तेज संदूषण, दमा, दीर्घकालिक बाधक फुफ्फुस रोग, मोतियाबिंद, तपेदिक, फेफड़ों का कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं।

हरियाणा गर्भवती महिलाओं से सम्पर्क बनाये रखेगा

महिलाओं के कम अनुपात और कन्याभ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं से जूझने के लिए हरियाणा प्रशासन ने गर्भधारण के तीसरे महीने से प्रसूति तक सभी गर्भवती महिलाओं से सम्पर्क बनाये रखने और राज्य के अल्ट्रासाउंड केन्द्रों पर नजर रखने के लिए एक जिला-स्तरीय प्राधिकरण की स्थापना की है।

प्रसूति के पश्चात उपयुक्त प्राधिकरण के क्षेत्र कर्मचारी नवजात शिशु की नियति का पता लगाने के लिए संबंधित परिवार के पास जायेंगे। यदि शिशु लापता पाया जाता है या उसकी अप्राकृतिक ढंग से मृत्यु होने की खबर मिलती है और कन्या भ्रूणहत्या का मामला सामने आता है तो प्राधिकरण संबंधित अल्ट्रासाउंड केन्द्र तथा शिशु के माँ-बाप के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

महिलाओं के लिए आत्म-रक्षा उपकरण

क्लीराक इन्टरप्राइजेज (बैंगलौर) ने ओलिओ जप्प नामक एक आत्म-रक्षा उपकरण तैयार किया है जिसका उपयोग संभावित आक्रमणकारियों के विरुद्ध उनको अस्थायी रूप से अयोग्य बनाने के लिए किया जा सकता है।

ओलियो जप्प एक वायु विलय (एरोसोल) पिचकारी है जिसमें ओलियोरेसिन कैपसेकिन होता है जो लाल मिर्च से निकाला जाता है। छिड़कने पर उस सारतत्व से आंख, नाक और गले में तेज जलन होती है जिससे आक्रमणकर्ता तत्काल 30-45 मिनट के लिए डगमगा जाता है और इसका स्थायी रूप से कोई पार्श्व प्रभाव नहीं होता। एक विशेष वायु विलय पिचकारी प्रक्रिया के जरिये 55 मिलीलीटर का पूरा सारतत्व छः से आठ फुट की सुरक्षित दूरी से छः सैंकेंडों में छिड़का जा सकता है।

एक आक्रमणकर्ता को डगमगाने के लिए और तुरंत सहायता प्राप्त करने या वहां से बचकर सुरक्षित दूरी पर जाने के लिए एक आधे सैकंड का छिड़काव काफी है। इससे युवतियों तथा बूढ़े लोगों को शरारती तत्वों से बचने में सहायता मिलेगी।

महत्वपूर्ण निर्णय

बलात्कारियों को दोषी सिद्ध करने के लिए पीड़ित का कथन स्वीकार करें

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि न्यायालय एक पीड़ित के साक्ष्य के आधार पर ही एक बलात्कार आरोपी को दोषी सिद्ध कर सकते हैं यदि उसका बयान कमजोर और अविश्वसनीय सिद्ध नहीं होता।

"यदि मामले से संबंधित समग्र परिस्थितियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजिका की आरोपी व्यक्ति को झूठे फंसाने की कोई तीव्र इच्छा नहीं है तो न्यायालय को उसके बयान को स्वीकार करने में कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए।"

अंतरिम गुजारा भत्ता न देना पति के लिए महंगा होगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि पति अपनी पत्नी और बच्चों को अंतरिम गुजारा भत्ता देने में कोताही करता है तो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध चलाई गई तलाक की कार्यवाही में उसे कोई वैवाहिक राहत नहीं मिलेगी। इस निर्णय से उन महिलाओं को लाभ होगा जो अनेक मामलों में अपने निर्वाह का प्रबंध स्वयं करने के लिए बाध्य हो जाती हैं क्योंकि निर्वाह भत्ते का भुगतान किये बिना पतियों को तलाक मिल जाता है।

एक खण्डपीठ ने एक व्यक्ति को तलाक देने से इंकार कर दिया जो अपनी पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने और अभियोजन व्यय वहन करने में असफल रहा।

शिशु अपनाओ, छुट्टी पाओ

केन्द्र सरकार ने एक महिला कर्मचारी को, जिसके दो या कम बच्चे हैं, एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को वैध रूप से गोद में लेने पर छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दत्तकग्रहण की तारीख से तुरंत बाद 135 दिन की अवधि के लिए प्रसूति छुट्टी देने का निर्णय लिया है जो पहले केवल प्राकृतिक माताओं को मिलती थी।

दत्तकग्रहण छुट्टी की अवधि के दौरान कर्मचारी को छुट्टी पर जाने से तुरंत पूर्व मिलने वाले वेतन के बराबर छुट्टी वेतन का भुगतान किया जायेगा।

यौन उत्पीड़न समिति का गठन करें

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सेना के उच्चतम अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के बारे में एक स्मरण-पत्र भेजा है जिसके अनुसार सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यस्थलों के लिए यौन उत्पीड़न के मामलों को निपटाने के लिए समितियों का गठन करना अनिवार्य है।

यह स्मरण-पत्र उस समय भेजा गया जब एक सेना अधिकारी की पत्नी अपने पति के विरुद्ध उत्पीड़न के आरोप लेकर आयोग के पास आई।

आयोग के पत्र में कहा गया है "समिति का गठन किया गया होता तो शिकायत करने वाली महिला आयोग के पास आने से पूर्व समिति के पास जा सकती थी।"

चूंकि एक अन्य कनिष्ट महिला अधिकारी ने अपने दो वरिष्ठ पुरुष अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये हैं, आयोग का कहना है कि यह उपयुक्त समय है कि सशस्त्र बल ऐसे मामलों को हल करने के लिए विशाखा न्यायनिर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों का पालन करें।

सदस्यों के दौरे

- सदस्या निर्मला वेंकटेश ने बैंगलौर में हेमवती नामक 27 वर्षीय लड़की पर अम्ल प्रहार की जांच-पड़ताल की। अस्पताल में हेमवती से मिलने के पश्चात् श्रीमती वेंकटेश ने पीड़ित के इलाज के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कोष से 4-5 लाख रुपये देने का वायदा किया। 50,000 रुपये की अंतरिम राहत पहले ही दी जा चुकी है।

  तत्पश्चात् श्रीमती वेंकटेश मैसूर गईं और भावी महिला निर्माण मजदूरों की समस्याओं पर विचार करने के लिए भावी महिला निर्माण मजदूरों की एक बैठक में भाग लिया। उन्होंने अम्बेडकर जयन्ती समारोह के अवसर पर एक दलित महिला रैली में भी भाग लिया। उन्होंने पुष्पलता और विजयलक्ष्मी के क्रमशः द्विविवाह और तलाक मामले की पूछताछ भी की।

श्रीमती वेंकटेश अम्ल प्रहार पीड़ित के साथ

- सदस्या नीवा कंवर ने 'बाल विवाह और इसके कुप्रभाव' पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित और भारतीय ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास संस्थान, मानिकपुर, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) द्वारा आयेजित एक दो-दिवसीय कार्यशाला में भी भाग लिया।

  इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती कंवर ने बाल विवाह रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया जिससे छोटी उम्र में माँ बनने से लड़कियों की मृत्यु हो जाती है। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में करीब 60 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हो जाता है और इस बात पर जोर दिया कि इस सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए संवेदीकरण और जागरुकता सृजन की आवश्यकता है।

श्रीमती नीवा कंवर कार्यशाला को संबोधित करती हुईं

शिकायत कक्ष से

राष्ट्रीय महिला आयोग को नई दिल्ली के एक निवासी से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा कि उसका भोपाल (मध्य प्रदेश) के एक निवासी से मई, 1999 में विवाह हुआ था। उसका कहना था कि उसका पति और जेठ/देवर उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। उसे डरा-धमका रहे हैं और उससे दहेज की मांग कर रहे हैं।

यह पति का दूसरा विवाह है और दोनों की आयु में 22 वर्ष का अंतर है। पति के अपनी पहली पत्नी से क्रमशः 19 वर्ष और 16 वर्ष का एक लड़का और एक लड़की हैं और अपनी दूसरी पत्नी से 5 वर्ष की एक लड़की है। पत्नी बहुत निर्धन परिवार की है और उसके पिता की मृत्यु उसके विवाह से पहले हो गई थी। पति अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात् अपने बच्चों और अपने परिवार की देखभाल के लिए पुनः विवाह करना चाहता था। अतः यह विवाह परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समझौता सा था।

आयोग ने यह मामला हाथ में लेते हुए पुलिस को उसके पति के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए नोटिस भेजा। पुलिस अधीक्षक, भोपाल ने इस मामले की पूछताछ करने के पश्चात् आयोग को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें बताया गया कि शिकायत करने वाली महिला पुलिस के समक्ष गवाही देने के लिए भोपाल नहीं आई। की-गई कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त होने पर शिकायत करने वाली महिला ने आयोग को सूचित किया कि उसका पति अच्छे व्यवहार और सुरक्षा का आश्वासन दे तो वह अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार है। उसके अनुरोध के आधार पर आयोग ने दोनों पक्षों को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किये। दोनों पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौता हुआ। पति अपनी पत्नी और बेटी की जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हो गया और वायदा किया कि आगे शिकायत का कोई अवसर नहीं आयेगा।

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, न्यू रोहतक रोड, सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित।
सम्पादक : गौरी सेन